अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का.आ. 125(अ).—**जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 अगस्त,1993 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 602 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने महाराजा अग्रसेन मेडिकल एजूकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च सोसाइटी, दयानन्द भवन, 3/5, आसफ अली रोड, दरियागंज, नई दिल्ली द्वारा अगरोहा, जिला हिसार, हरियाणा में मात्र पाँच करोड़ पाँच लाख रूपए की अनुमानित लागत पर महाराजा अग्रसेन अस्पताल के निर्माण की परियोजना अथवा**

स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1994-95 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 3 पर विनिर्दिष्ट किया था ; और जिसे बाद में 2 फरवरी,1996 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 94 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 12 मार्च,1998 की अधिसूचना सं0सां0आ0 200(अ0) द्वारा कर निर्धारण 1999-2000 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था तथा जिसे बाद में दिनांक 28 दिसम्बर,2001 की अधिसूचना सं0सां0आ0 1269 (अ0) द्वारा कर निर्धारण 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के ग्यारह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराजा अग्रसेन मेडिकल एजूकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च सोसाइटी, दयानन्द भवन, 3/5, आसफ अली रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली द्वारा अगरोहा, जिला हिसार, हरियाणा में चलाई जा रही महाराजा अग्रसेन अस्पताल के निर्माण की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 28/2005/फा. सं. एनसी-270/408/2004]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)